


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

गजेंद्र सिंह विपक्षी पनसिंह
 मुकदमा 212/2025 पत्रावली संख्या 105/25 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>06/10/25 पत्रावली पैदा हुई। उनसे। उमथ पत्रकारान 04.1 डा.पस 039R7 पर डा.पस 01R10 पर पर लक्ष्यपूर्व पेशी पर खुली गई। न्यायालय का विनाश आश्रित है कि डा.पस 039R7 पर वादी द्वारा उपर-तुल किया गया है वादी लक्ष्यपूर्व मावली को कमीशनर नियुक्त करवा मौके की विपरीत लक्ष्य करवाना नाहता है न्यायालय का आश्रित है कि साक्ष्य स्विकार करने के लिए न्यायालय को माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। वादी विपरीत मौका के माध्यम से साक्ष्य स्विकार करना नाहता है उन: वादी का डा.पस 039R7 डा.पी. खारिज किया जाना है</p> <p>डा.पस. 01R10 पर में वकील डा.पी.गो. वादग्रस्त प्रमि के सहकारितक है साक्ष्यार्थे दार आवश्यक पत्रकार है से डा.पस 01R10 पर रक्षीकार मोक्ष पात्रा जाना है उन: डा.पस 01R10 पर रक्षीकार किया जाकर डा.पस. 01R10 पर में वकील डा.पी.गो. को छल डा.पस में विपक्षीगो. के रूप में पत्रकार बनारु जाने के लक्ष्यपूर्व जाते है आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब पेश करे पत्रावली वास्तुत: जवाब दिनांक 14/10/25 को पेश है।</p>	

[Handwritten signature]

14/10/25

पञ्जावली पेरा हुई। अधि. उभयपक्ष. उप।

विपक्षी शरणांग 7,9,10 डिग्री से पञ्जावली पेरा एवं काउंटर ब्लेम पेरा किया। (शा. का रहे)

पञ्जावली वास्तव पत्रक / पञ्जावली डिग्री

27/10/25 को पेरा हो।

27/10/25

पञ्जावली पेरा हुई। अधि. उभयपक्षकारान

उप। माननीय न्यायालय शासक मंडल शासक

अधिकार द्वारा न्यायालय शासक की पञ्जावली संलग्न

की गई। अधि. पञ्जावली माननीय न्यायालय को

मिलवाई जावे।